Bihar Education Project, Buxar
Kamaldah Pokhar, Station Road
Buxar-802101

बिहार शिक्षा परियोजना, बक्सर
कमलदह पोखर, स्टेशन रोड
बक्सर– 802101

पत्रांक–SSA/A&ST./......382........ दिनांक 02/03/2020.

–: **सूचना** :–

जिले के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE के अर्न्तगत जिले के विभिन्न प्रखंडों के 41 प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत कक्षा–(I) के कुल क्षमता का 25% निःशुल्क नामांकन हेतु अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त वर्ग समूह से जो भी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन वर्ग (1) में कराना चाहते है, वे दिनांक 28.03.2020 तक अपने प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 28.03.2020 तक आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन जमा करेंगें।

ज्ञात हो कि अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में विना शुल्क नामांकन एवं अध्यापन कराया जाता है।

28/2/2020

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान)
बिहार शिक्षा परियोजना, बक्सर।

ज्ञापांक......382/1 दिनांक.......02.03.2020

प्रतिलिपिः– जिले के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रबंधक/प्राचार्यो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध किया जाता है कि अपने स्तर से 25% कक्षा 1 में आरक्षित सीटों नामांकन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर आवेदन प्राप्त करें तथा आवेदनों को सूची बद्ध कर 31.03.2020 तक सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, साथ ही अनुरोध करना है, कि सारे प्राप्त आवेदनों को सूचिबद्ध कर 31.03.2020 तक सर्व शिक्षा अभियान, कार्यालय बक्सर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0) बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, बक्सर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बक्सर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/2/2020

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान)
बिहार शिक्षा परियोजना, बक्सर।

Scanned with CamScanner

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों, बक्सर में 25% कोटे के अन्तर्गत नामांकन हेतु आवेदन पत्र

(सत्र 2020–21)

फोटो

1. छात्र/छात्राओं का नाम ....
2. माता का नाम ....
3. पिता का नाम ....
4. जन्म तिथि ....

(प्रमाण–पत्र संलग्न करेगें, आयु 31 मार्च 2020 को न्यूनतम 5 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए)

5. छात्र/छात्राओं का आधार संख्या ....
6. कोटि ....
7. क्या माता/पिता बी0पी0एल0 श्रेणी में आते है:–(हॉ/नहीं)..

(यदि हॉ तो प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करेगें)

8. क्या माता/पिता अलाभकारी/कमजोर वर्ग समूह से आते है ?..

(यदि हॉ तो आय एवं जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करेगें)

9. प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय का नाम जहॉ नामांकन कराना चाहते है..

....

10. (क) क्या छात्र/छात्रा प्री–प्राइमरी कक्षा में किसी संस्था में पढ़ रहे है:–(हॉ/नहीं)

(ख) अगर हॉ, तो संस्था का नाम..

11. माता/पिता का व्यवसाय..
12. माता/पिता का मोबाईल नं0..
13. पूरा पता (आवासीय प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करेगें)..

....

अभिभावक का हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner